सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 07.11.2023

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा में अनावश्यक आर्बिट्रेरी परचेज, पेसमेकर धोखाधडी, गहन भ्रष्टाचार एवं अनावश्यक विदेश यात्राएं के आरोपी डाक्टर को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में *थाना सैफई* पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.02.2022 को वादी श्री प्रोफेशर डा0 आदेश कुमार चिकित्साधीक्षक UPUMS सैफई इटावा द्वारा डा0 समीर सर्राफ तत्कालीन असिस्टेन्ट प्रोफेशर कार्डियोलोजी विभाग UPUMS सैफई इटावा के विरुद्ध अनावश्यक आर्बिट्रेरी परचेज, पेसमेकर धोखाधडी, अनावश्यक विदेश यात्राएं एवं गहन भ्रष्टाचार करके विश्वविद्यालय को लाखों रुपये के लोकधन की वित्तीय हानि तथा मरीजो को भी धोखाधडी का शिकार बनाये जाने के संबंध में **मु0अ0सं0 17/2022 धारा 7/8/9/13/14 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 व 420 भादवि पंजीकृत कराया गया था। विवेचना से साक्ष्य के क्रम में उपरोक्त अभियोग में धारा 467/468/471 भादवि की बढोत्तरी की गयी।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में दिनांक 07.11.2023 को थाना सैफई पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 17/22 से संबंधित अभियुक्त दुमिला बार्डर के पास खडा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना सैफई पुलिस टीम द्वारा दुमिला बार्डर के पास से समय 10.00 बजे अभियुक्त डा0 समीर सर्राफ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. समीर सर्राफ पुत्र जितेन्द्र कुमार सर्राफ निवासी सिविल लाइन जनपद ललितपुर **हाल पता हाउस नं0 402 न्यू कैम्पस टाइप 4 न्यू मल्टीस्टोरी बिल्डिंग UPUMS सैफई उ0प्र0 उम्र 42 वर्ष**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 17/2022 धारा 7/8/9/13/14 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 व धारा 467/468/471 /420 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- - निरीक्षक श्री मो0 कामिल प्रभारी थाना सैफई, व0उ0नि0 पवन कुमार शर्मा, उ0नि0 संतोष कुमार, का0 विपुल कुमार।